अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भूपेन्द्रसिंह उर्फ भंवरसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा— प्रा0पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 ए — मु0नं0— 27/2023 (27/2023)

पीठासीन अधिकारी— यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट हेतु पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 962/550 रकबा 4.36 है0 वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी नाम भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम भंवरसिंह पुत्र नारायण सिंह है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्रसिंह उर्फ भंवरसिंह राठौड पुत्र नारायणसिंह दर्ज किया जावे। इत्यादि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सिकराय से जवाब स्टेट तलब किया गया। तहसीलदार सिकराय ने अपने जवाब में अंकित किया है कि भूपेन्द्रसिंह पि0 नारायणसिंह भंवरसिंह पि0 नारायणसिंह जाति राजपूत दोनो एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भूपेन्द्रसिह एवं भंवरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा की भूमि खसरा नम्बर 962/550 रकबा 4.36 है0 की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भूपेन्द्रसिंह उर्फ भंवरसिंह राठौड पुत्र नारायणसिंह दर्ज किया जावे। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2024 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	